


॥ आदेश ॥

दिनांक: 16-12-19

आज पत्रावली पेश हुई आवाज दिलाई गई वादी व वकील उपस्थित नहीं बार बार आवाज लगवाई गई। वादी व वकील उपस्थित नहीं आये अतः वाद पत्र अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जिला लेख भण्डार हो।

आदेश आज दिनांक 16-12-19 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।


संतोष कुमार मीना
(आर. ए. एस.)

सहायक कलक्टर फास्ट
ट्रैक
बहरोड जिला अलवर